



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcdfdevelopment@gmail.com
Phone & Fax No. 0651-2481813



70

पत्रांक :- 01 / यो०ब०—४८५० / २०१५- ७१७

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, कोडरमा।

दिनांक :- 20.05.2016

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 82.322 लाख (बेरासी लाख बत्तीस हजार दो सौ) रुपये मात्र का ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो०बजट-70/2015-55/स्वी० व० प० दिनांक-20.01.2016 एवं आ०आ०संख्या-04/यो०बजट-70/2015-34 अ०व०प० प० दिनांक-25.04.2016।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल 82.322 लाख (बेरासी लाख बत्तीस हजार दो सौ) रुपये मात्र राशि का ऑन-लाईन उप आवंटन किया जा रहा है।

2. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न प्रकार लघुशीर्ष/इकाईवार राशि आवंटित किया जाता है :-

(राशि लाख में)				
क्र० सं०	शीर्ष का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड़	आवंटित राशि
1	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण	मजदूरी	19P240601789580103	72.105
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601789580323	10.217
कुल आवंटित राशि				82.322

अर्थात् कुल 82.322 लाख (बेरासी लाख बत्तीस हजार दो सौ) रुपय मात्र राशि आवंटित की जाती है। ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. वर्तमान आवंटित कुल 82.322 लाख (बेरासी लाख बत्तीस हजार दो सौ) रुपय मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना)“ (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष 01–वानिकी लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी परिशिष्ट–1 से 3 में अंकित विवरणी के अनुरूप होंगे। राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

5. वन प्रमंडलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 से अधिसूचित समिति द्वारा निर्धारित एवं अनुमोदित दर पर तैयार किया गया है तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की गयी है। जिसकी प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जाएगी। राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनानांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को समर्पित करेंगे।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी यथा वन संरक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के स्तर से वनरोपण योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उसके अनुश्रवण के संबंध में जारी संकल्प संख्या—2539 दिनांक 20.04.2005 एवं संकल्प संख्या—819 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निर्देशों के साथ अधीनस्थों तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। एक प्रति कार्यालय अभिलेख हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड को समर्पित करेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी—पत्र— परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम—300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0—2371, दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का

निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाएँ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड कार्यालय में समर्पित करने के उपरांत ही आवंटित राशि व्यय की जाएगी।

17. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमंडलों को राशि आवंटित की जाएगी, किन्तु योजनाओं का व्यय “स्थल विशेष प्राक्कलन” योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जाएगा।

18. योजना के अन्तर्गत स्थल के अनुरूप निर्धारित वानिकी मापदंडों के अनुसार पौधों का रोपण किया जाना है।

19. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमंडल से कराई जाएगी।

20. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

21. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी पर के अनुरूप किया जायेगा।

22. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

23. संबंधित योजना हेतु आवंटन पत्र के शार्तों एवं सरकार के स्तर से स्वीकृत योजना में किसी प्रकार का परिवर्तन कर कार्य कराये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

24. अनुमोदित योजना एवं प्राक्कलन में किसी भी परिस्थिति में विचलन नहीं किया जाय एवं स्वीकृत मापदण्ड के अनुरूप ही कार्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

66


25. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

26. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

27. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

28. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 से 3 पर, कार्य दर अनु०-४ से ६ पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-७ पर संलग्न है।

अनुलग्नक :— यथोक्त।

विश्वासभाजन

2015-2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।


25. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने रत्नर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

26. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

27. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

28. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 से 3 पर, कार्य दर अनु०-५ से ६ पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-७ पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्ति।


₹०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-०१/यो०ब०-४८०/२०१५- ७१७

,राँची, दिनांक :-२०.०५.२०१६

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, देवघर/प्रादेशिक अचंल, बोकारो/प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।


25. अनुमोदित प्राक्कलन की प्रति वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपने स्तर से सहायक वन संरक्षक, वन क्षेत्र पदाधिकारी, वनपाल एवं वनरक्षी को उपलब्ध करायेंगे।

26. वर्तमान में राशि का उप आवंटन प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं आवंटन के अनुरूप किया जा रहा है, परन्तु राशि का भुगतान संलग्न कार्य दर के अनुरूप किया जाएगा। शेष राशि अलग से उप आवंटित की जाएगी।

27. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अन्तर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जानेवाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा।

28. इस योजना के अन्तर्गत किये गये, प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्न-1 से 3 पर, कार्य दर अनु०-५ से ६ पर एवं ऑन-लाईन उप आवंटन अनुलग्नक-७ पर संलग्न है।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक :- यथोक्त /

₹०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-०१/ यो०ब०-४८ए०/ २०१५- ७१७

,राँची, दिनांक :-२०.०५.२०१६

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर, पलामू/वन संरक्षक, प्रादेशिक अचंल, देवघर/प्रादेशिक अचंल, बोकारो/प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

₹०/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-०१/ यो०ब०-४८ए०/ २०१५- ७१७

,राँची, दिनांक :-२०.०५.२०१६

प्रतिलिपि—कोषागार पदाधिकारी, देवघर/कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/ कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

K. N. Pathanam
20.05.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

R. J. झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक
योजना) कं अंतर्गत भू–संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय
लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	60	11.550	1.509	13.059
2	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	30	5.775	0.755	6.530
	कुल योग :-	90	17.325	2.264	19.589

अनु०-२

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक
योजना) कं अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं
वित्तीय लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो	30	8.388	1.226	9.614
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	60	16.777	2.453	19.230
3	गढ़वा उत्तरी वन प्रमण्डल, गढ़वा	35	9.787	1.431	11.218
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	40	11.185	1.635	12.820
	कुल योग :-	165	46.137	6.745	52.882

अनु०-३

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं
भू–संरक्षण” योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अनु० जातियों के लिए विशेष घटक
योजना) कं अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का सात वर्षीय कार्य योजना का भौतिक एवं वित्तीय
लक्ष्य

क्रम सं०	कार्यालय / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग	40	4.939	0.690	5.629
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा	30	3.704	0.518	4.222
	कुल योग :-	70	8.643	1.208	9.851
	सकल योग :-	325	72.105	10.217	82.322

अपर प्रधान मुख्यमंत्री संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची।

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर


योजना का नाम— भू—संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठले : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठले	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हेठले	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठले	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रेंच के वर्म पर धेरान हेतु बीज रोपन	हेठले	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेठले तक)	हेठले	9.16	2029.95	0.00	2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			110.66	24523.36	2515.00	27038.36	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

 झारखण्ड, राँची

61

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दरयोजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो


2500 पौधे

पौधों की दूरी

2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्त
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हेठो	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रैच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 6 चेन ट्रैच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.16	2029.95		2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			161.16	35714.67	4087.50	39802.17	


 अपर प्रधान मुख्य सचिव संस्थक, विकास,
 झारखण्ड, राँची
 Dated 20/06/2016

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना



पौधों की संख्या प्रति हेठो

1000 पौधे

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	13	2880.93	0.00	2880.93	
2	वृक्षारोपण	हेठो	22	4875.42		4875.42	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेठो	25	5540.25	0.00	5540.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेठो	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हेठो औसत 6चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हेठो तक	हेठो	9.17	2032.16		2032.16	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेठो	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			71.17	15771.98	1725.00	17496.98	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

 झारखण्ड, राँची



दिल्ली काला दरवाज़ा

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

59

शास्त्र वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-48a/2015/717

दिनांक -

20-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं.	लिकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789580103	28971	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	1,155,000.00 रुपये ग्यारह लाख पचपन हजार
2	P 19 240601789580103	28972	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	577,500.00 रुपये पाँच लाख सित्योत्तर हजार पाँच
3	P 19 240601789580103	28973	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	838,800.00 रुपये आठ लाख अड्डीस हजार आठ

योग:

2,571,300.00

क्रमिक योग:

रुपये पच्चीस लाख इकहत्तर हजार तीन सौ


(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN (FS))

ADDI.PCCF,DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28974	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	1,677,700.00 रुपये सोलह लाख सित्योत्तर हजार सात से
5	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28976	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	978,700.00 रुपये नौ लाख अठहत्तर हजार सात से
6	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28978	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	1,612,400.00 रुपये सोलह लाख बारह हजार चार से
7	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28980	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	370,400.00 रुपये तीन लाख सत्तर हजार चार से
<hr/>				
योग:				
क्रमिक योग:				
रुपये बहत्तर लाख दस हजार पॉच सौ				
रुपये बहत्तर लाख दस हजार पॉच सौ				
<hr/>				
(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN) (S)				
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND				
<hr/>				

-51-

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28982	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	150,900.00 रुपये एक लाख पचास हजार नौ से
9	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28983	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	75,500.00 रुपये पचाहत्तर हजार पौँच से
10	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28984	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छ: से
11	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28985	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	245,300.00 रुपये दो लाख चैतालीस हजार तीन से
योग:				
594,300.00				
क्रमिक योग:				
रुपये अठहत्तर लाख चार हजार आठ सौ				
7,804,800.00				
 ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND (SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) RANCHI				
Run Date: 20/5/2016				



क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नंबर	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28986	GRHFWL001 ASHOK KUMAR DUBEY D.F.O. NORTH DIV. GARHWA	143,100.00
13	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28987	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	232,500.00
14	P 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28988	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	51,800.00

योगः

क्रमिक योगः

रुपये बयासी लाख बत्तीस हजार दो सौ

427,400.00

8,232,200.00

SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN, IAS
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND